राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प0 11(1) वन/1978 जयपुर, दिनांकः– 10 नवम्बर, 2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः–राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्यों अथवा उसके जीवों द्वारा जनहानि व घायल एवं पशुधन हानि के लियें संशोधित की गई मुआवजा की दरो बावत्।

संदर्भः– आपकी एकल पत्रावली कमांक एफ. 03(02)पार्ट–1/व.जी.प्र./मुवजीप्र/2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रावली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के कम में राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्यों में अथवा उसके बाहर जीवों द्वारा जनहानि व घायल एवं पशु धन हानि के लिये मुआवजा की वर्तमान दरों को निम्नानुसार संशोधित करने की सहमति प्रदान की जाती हैः–

क. सं.	श्रेणी	प्रकार	पूर्व की मुआवजा राशि	विभागीय प्रस्तावित नवीन दरें	वित्त विभाग द्वारा सहमत दरे	विशेष टिप्पणी
1	जन श्रेणी	1.जनहानि होने पर	4,00,000	5,00,000	5,00,000	सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी होने की शर्त पर
		2.स्थाई अयोग्य होने पर	2,00,000	2,50,000	☆ 3,00,000	
		3.अस्थाई अयोग्य होने पर	40,000	50,0000	50,000	
2.	पालतू मवेशियों की श्रेणी	1.भैंस व बैल	20,000	25,000	25,000	
		2.गाय	10,000	12,500	12,500	
		3.भैंस व गाय का बच्चा	4,000	5,000	5,000	
		4.बकरी/बकरा व भेंड	2,000	3,000	3,000	
		5.ऊँट	20,000	25,000	25,000	
		6./खच्चर	2,000	3,000	3,000	

☆ विभागीय प्रस्तावित राशि 2.50 लाख के विरूद्ध 3.00 लाख वित्त विभाग की सहमति " मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में" प्रावधित प्रावधान के दृष्टिगत की गई है।

यह मुआवजा भुगतान निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रभावी रहेगाः–

1. विभाग द्वारा राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र हेतु मुआवजा/एक्सग्रेशिया राशि में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अनुसार केन्द्रांश प्राप्त किया जाना तथा अब तक व्यय राशि हेतु शेष पुनर्भरण केन्द्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. विभाग इस मद में अब तक व्यय की गई राशि का संपूर्ण पुर्नभरण केन्द्र सरकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा।
3. विभाग राशि को व्यय करते समय राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों, तत्संबंधी नियमों, परिपत्रों एवं निर्धारित प्रकिया की पूर्ण पालना करने अपने स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करेगा।

4. इस संबंध में वांछित आवश्यक दिशा–निर्देश विभाग स्वयं के स्तर से तैयार कर उन्हे सक्षम स्तर से अनुमोदित कराकर प्रभावी किया जाना सुनिश्चित करेगा।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102202749 दिनांक 21.06.2022 तथा 172201239 दिनांक 27.10.2022 के अनुसरण में प्रदान की जाती है।

राज्य में अन्य स्थानों पर वन्यजीवों द्वारा जनहानि एवं घायल होने पर तथा पशुधन की हानि के लिए राज्य निधि से मुआवजे/एक्सग्रेशिया हेतु संबंधित बजट मद में प्रावधित राशि 275.00 करोड़ के विरूद्ध आदिनांक व्यय राशि एवं वर्ष 2022–23 हेतु आवश्यक रूप वित्त विभाग को अवगत कराने का श्रम करावें।

भवदीय,

(वेंकटेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
5. परियोजना निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, फेज–II, अरावली भवन को उनकी एकल पत्रावली 11(28)PD/AFD /Society /2022-23 मय स्वीकृति के आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. वित्तीय सलाहकार, वन भवन, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश अग्रवाल)
विशेषाधिकारी, वन